

1[117क. कतिपय मामलों के मुकदमों पर होने वाले व्यय का नियन्त्रण- धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के अधीन निबन्धक या राज्य सरकार के आदेश द्वारा जो आदेश दिया जाये या दिया जाना संभावित हो उसके विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी न्यायालय में दायर की गयी या संस्थित किन्ही कार्यवाहियों का खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबन्धक की लिखित पूर्व स्वीकृत के बिना नहीं किया जायेगा।]